<u>राजस्थान सरकार</u>

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रमांक :– आ.प्र.सहा. / बाढ / 2025–26 / 4423   दिनांक :– 7/10/25

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सडकों एवं पुलों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4273 दिनांक 18.09.2025 द्वारा आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर द्वारा चाहे जाने पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु संबंधित विकास अधिकारी, **<u>पंचायत समिति कार्यालय ब्लॉक उनियारा के क्षतिग्रस्त सडकों के 17 कार्य</u>** तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलिया की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति कार्यालय ब्लॉक पीपलू के 04 कार्य एवं मालपुरा के 04 कार्य, **कुल <u>क्षतिग्रस्त पुलिया के कुल 08 कार्य,</u>** अतः **<u>क्षतिग्रस्त सडकों एवं पुलिया के कुल 25 कार्यो के प्रस्ताव</u>** आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को भिजवाये गये थे।

श्रीमान शासन उप सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 140 / 2025–26)एफ.8(14)आ.प्र.एवंसहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / राजकाज रेफरेन्स नं. 18124670 जयपुर, दिनांक 06.10.2025 द्वारा प्रस्ताव कार्यों में से संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति कार्यालय ब्लॉक उनियारा के **<u>क्षतिग्रस्त सडकों के 17 कार्य</u>** हेतु राशि रूपये 10.20 लाख तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलिया की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति कार्यालय ब्लॉक पीपलू के 04 कार्य हेतु राशि रूपये 0.90 लाख एवं मालपुरा के 04 कार्य हेतु राशि रूपये 2.40 लाख, **कुल <u>क्षतिग्रस्त पुलिया के कुल 08 कार्यो हेतु राशि रूपये 3.30 लाख,</u> <u>अतः क्षतिग्रस्त सडकों एवं पुलिया के कुल 25 कार्यो</u> हेतु राशि रूपये 13.50 लाख (अक्षरे तेरह लाख पचास हजार रूपये मात्र)** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के प्रावधान अनुसार सशर्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

अतः बाढ़ से **<u>क्षतिग्रस्त सडकों एवं पुलियां के</u>** तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना कार्य हेतु **<u>कुल 25 कार्यो</u> हेतु राशि रूपये 13.50 लाख (अक्षरे तेरह लाख पचास हजार रूपये मात्र)** की संलग्न सूची अनुसार इस कार्यालय द्वारा निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।

1. विभाग द्वारा Per Km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया गया है। अतः संबंधित पंचायत समिति कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सडकों / पुलों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. स्वीकृति जारी करते समय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मापदण्डो का अक्षरशः पालना किया जावेगा।
4. वे सडकें / पुल जो Defect Liability Period के तहत आते है, उनकी मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से देय नही है।
5. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुसार स्वीकृत कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ किया जावेगा तथा प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जावेगा ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्‌देश्य पूर्ण हो सके।
6. उपखण्ड स्तरीय समिति सदस्यों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों / कार्यों का निरीक्षण करवाया जाकर कार्य कराये जावें। कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया जावें।
7. बाढ़ / अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त सडकों / पुलों के रेस्टोरेशन में यह ध्यान रखा जावें कि क्षतिग्रस्त सडकों / पुलों का तात्कालिक रेस्टोरेशन ही किया जाना है न कि नया निर्माण। इस सम्बन्ध में एसडीआरएफ नोर्म्स के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें।
8. कार्यकारी एजेन्सी विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए इस आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जावेगा कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही SDRF मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.07 19:09:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18190412

eSign 1.0

9. कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चितता करें कि प्रस्तावित संडकों/पुलों का उपयोग जनसेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है। इस आशय का प्रमाण पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।

10. कार्यकारी एजेन्सी विभाग द्वारा इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता विभाग द्वारा निर्धारित दर से गणना करते हुए तुरन्त जारी की जाकर इस कार्यालय को भेजी जावेगी। इसके पश्चात इस कार्यालय द्वारा बजट की ऑनलाईन डिमाण्ड की जावेगी। बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जानी है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों व पुलों के रेस्टोरेशन हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जावें।

11. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

12. बजट आवंटन होने पर इस कार्यालय द्वारा बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

13. वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किये जावेगें। इससे पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ कर लिया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

14. उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा कार्यों का भौतिक निरीक्षण करने के उपरान्त एवं कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जावेगा। भुगतान से पूर्व उपखण्ड स्तरीय समिति की रिपोर्ट भिजवाई जावेगी। समिति यह सुनिश्चित करें कि कार्य एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार कराये गये है।

15. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर कार्यकारी संस्था द्वारा प्रमाणित करवाई जावें। प्रस्तावित कार्यों में क्षति का मुख्य कारण बाढ/अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, अतः इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाये।

16. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावें। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नांकिंत बजट मद से किया जायेगा :–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02– बाढ़, चक्रवात आदि।
106– खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना
(08)– (बाढ़ क्षेत्र में खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)
[01]– [सडकों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना]
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध

(केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)

17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आंवटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराये जा सकेगें।

18. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

19. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तियां PWF&AR एवं RTPP तथा समय–समय पर जारी नियम के अनुसार मान्य होगी।

20. आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 140/2025–26)एफ.8(14)आ.प्र.एवंसहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज रेफरेन्स नं. 18124670 जयपुर, दिनांक 06.10.2025 तथा एसडीआरएफ नोर्म्स परिपत्र दिनांक 10.10.2022, Modified vide letter No. 33-03/2020-NDM-I Dated 11.07.2023 के बिन्दु संख्या 11 के दिशा निर्देशों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों की पालना की जावेगी। पत्रों की प्रतियां संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

Signature valid
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.07 19:09:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18190412

21. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
22. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।
23. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यो का पूर्णतः प्रमाण पत्र प्रेषित करेगें।
24. कार्यो का भुगतान विभागीय पत्रांक 12199–231 दिनांक 03.10.2008 के अनुसार इस कार्यालय स्तर से प्राप्त बजट अनुसार कोष कार्यालय के मार्फत किया जावेगा।
25. एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार केवल तात्कालिक प्रकृति के कार्य ही करवाये जावेगें।
26. कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां उपरान्त ही नियमानुसार राशि का व्यय किया जायें।
27. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।समस्त कार्य बजट आवंटित किये गये वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किये जाने आवश्यक है। तात्कालिक रेस्टोरेशन के कार्यो से संबंधित देनदारियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान संबंधित विभाग एवं कार्यकारी एजेंसी द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मैदारी संबंधित विभाग एवं कार्यकारी एजेंसी की होगी।
28. संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति कार्यालय एवं संबंधित कार्यकारी एजेन्सी/विभाग द्वारा सहायता विभाग की उपरोक्त संलग्न प्रशासनिक स्वीकृति की पृष्ठांकित प्रति में दिये गये निर्देशों की पालना की जावें।

संलग्न :– सूची एवं पत्रों की प्रतियां।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
टोंक

क्रमांक :– आ.प्र.सहा./बाढ/2025–26/4424–29 दिनांक :– 7/10/25
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. जिला कोषाधिकारी, टोंक।
4. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, उनियारा, पीपलू एवं मालपुरा।
7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, उनियारा, पीपलू एवं मालपुरा
8. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलेक्टर/निजी सहायक, अति० जिला कलेक्टर, टोंक।

जिला कलक्टर,
टोंक

Signature valid
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.07 19:09:23 IST
Reason: Approved

कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा टोंक राज0

अतिवृष्टी / बाढ में क्षतिग्रस्त परिसम्पतितयों की जारी तकनीकी स्वीकृतियों की सूची

क्र.स.	ग्राम पंचायत	ग्राम	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति कमांक / दिनांक	तकनीकी स्वीकृति कमांक	दिनांक	राशि योग	विवि
1	राजपुरा	राजपुरा	आगनबाडी के पास गणवर रास्ते पर पुलियां निर्माण कार्य राजपुरा	140/2025-26	261	17-10-2025	0.60	
2	डूंगरीकलां	डूंगरीकलां	बागरियां ढाणी की ओर जाने वाले रास्ते पर पाईप पुलियां निर्माण कार्य डूंगरीकलां	140/2025-26	266	17-10-2025	0.60	
3	टोरडी	टोरडी	बाढ/अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त खोड्याजी के पास पुलियां मरम्मत कार्य टोरडी	140/2025-26	259	16.10.2025	0.60	
4	कांटोली	नया गांव गुजरान	बाढ/अतिवृष्टी से क्षतिग्रस्त नया गांव गुजरान से कांटोली रास्ते पर रपटा नया गावं गुजरान	140/2025-26	247	16-10-2025	0.60	

T-2.4

कार्यालय पंचायत समिति उनियारा मु0 अलीगढ़ जिला टोंक (राज0)

क्रमांक :– पसउ/लेखा/2025–26/3057 दिनांक :– 12/11/2025

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदया, (सहायता)
टोंक (राज0)।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 140 दिनांक 06.10.2025 द्वारा वर्षा से क्षतिग्रस्त सडके/रपटा/नाला मरम्मत कार्यो हेतु जारी तकनीकी स्वीकृति की सूची निम्नानुसार है।

क्र. स.	कार्य का नाम	स्वीकृत कार्यो का विवरण	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	प्रशासनिक स्वीकृति राशि (लाखों में)	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक / दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाखों में)	वर्षा की दिनांक	दिनाक को वर्षा एमएम में	कार्य करवाने हेतु उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम व फोन नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
1	बैरवा मोहल्ला से जाट मोहल्ला तक सडक मरम्मत कार्य डाबला	सडक मरम्मत	डाबला	बालीथल	उनियारा	0.60	2643 / 30.10.25	0.60	23-08-25	220 MM	श्री जसराम मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बालीथल मो0 9829546676
2	सडक कार्य सार्वजनिक मंच हथाई से मुसलमान मोहल्ला कुए के पास से होता हुआ श्मशान घाट की और बामनिया	सडक मरम्मत	बामनिया	बालीथल	उनियारा	0.60	2642 / 30.10.25	0.60	23-08-25	220 MM	श्री जसराम मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बालीथल मो0 9829546676
3	सडक कार्य माली मोहल्ला से बैरवा बस्ती की और बालीथल	सडक मरम्मत	बालीथल	बालीथल	उनियारा	0.60	2641 / 30.10.25	0.60	23-08-25	220 MM	श्री जसराम मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बालीथल मो0 9829546676
4	अटल सेवा केन्द्र के पास रपटा मरम्मत कार्य बिलोता	रपटा मरम्मत	बिलोता	बिलोता	अलीगढ	0.60	2640 / 30.10.25	0.60	23-08-25	121 MM	श्री जगमोहन मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बिलोता मो0 9636963201

5	रास्ता क्षतिग्रस्त मेन रोड से पलसा की ओर जाने वाल बिलोता	सड़क मरम्मत	बिलोता	बिलोता	अलीगढ़	0.60	2639 / 30.10.25	0.60	23-08-25	121 MM	श्री जगमोहन मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बिलोता मो0 9636963201
6	नाला क्षतिग्रस्त देहलवाल जी मन्दिर के पास बिलोता	नाला मरम्मत	बिलोता	बिलोता	अलीगढ़	0.60	2638 / 30.10.25	0.60	23-08-25	121 MM	श्री जगमोहन मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बिलोता मो0 9636963201
7	रास्ता क्षतिग्रस्त मेन रोड से टीकाराम रामजीलाल के मकान की ओर जाने वाला बिलोता	सड़क मरम्मत	बिलोता	बिलोता	अलीगढ़	0.60	2637 / 30.10.25	0.60	23-08-25	121 MM	श्री जगमोहन मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बिलोता मो0 9636963201
8	सड़क मरम्मत कार्य राजेश मीणा / श्योजी लाल मीणा के मकान से पलसा चौक तक पाटोली	सड़क मरम्मत	पाटोली	पाटोली	अलीगढ़	0.60	2633 / 30.10.25	0.60	23-08-25	121 MM	श्री जसराम मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बालीथल मो0 9829546676
9	सड़क कार्य जयराम के मकान से तालाब तक पाटोली	सड़क मरम्मत	पाटोली	पाटोली	अलीगढ़	0.60	2636 / 30.10.25	0.60	23-08-25	121 MM	श्री जसराम मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बालीथल मो0 9829546676
10	सड़क कार्य राप्रावि अलीनगर तक	सड़क मरम्मत	अलीनगर	पाटोली	अलीगढ़	0.60	2635 / 30.10.25	0.60	23-08-25	121 MM	श्री जसराम मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बालीथल मो0 9829546676
11	सड़क कार्य पलसा चौक से कालूराम मीणा के मकान की ओर पाटोली	सड़क मरम्मत	पाटोली	पाटोली	अलीगढ़	0.60	2634 / 30.10.25	0.60	23-08-25	121 MM	श्री जसराम मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बालीथल मो0 9829546676
12	रास्ता क्षतिग्रस्त पलसा से देहलवाल जी की ओर जाने वाला बिलोता	सड़क मरम्मत	बिलोता	बिलोता	अलीगढ़	0.60	2632 / 30.10.25	0.60	23-08-25	121 MM	श्री जगमोहन मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बिलोता मो0 9636963201
13	रामतलाई बालाजी मसानिया खाल नाले की पुलिया मरम्मत कार्य	पुलिया मरम्मत सड़क	अलीगढ़	अलीगढ़	अलीगढ़	0.60	2678 / 30.10.25	0.60	23-08-25	121 MM	श्री धर्मेन्द्र नायक ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अलीगढ़ मो0 9928453352

14	नाला रूपवास से गुदलिया रास्ते पर मरम्मत कार्य	नाला मरम्मत सड़क	रूपवास	रूपवास	उनियारा	0.60	2679 30.10.25	0.60	23-08-25	220 MM	श्री हवा सिंह बैरवा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रूपवास मो0 9649015833
15	सडक मरम्मत कार्य मेन रोड़ से रेगर ढाणी तक खेलनियां	सड़क मरम्मत	खेलनिया	खेलनिया	उनियारा	0.60	2671 30.10.25	0.60	23-08-25	220 MM	श्री अब्दूल हमीद अंसारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खेलनियां मो0 9460951713

T- 9.00

(शंकर लाल मेघवाल,RRDS)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति उनियारा

कार्यालय पंचायत समिति उनियारा मु0 अलीगढ़ जिला टोंक (राज0)

क्रमांक :- पसउ / लेखा / 2025-26 / 3056 — दिनांक :- 12/11/2025

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदया
टोंक।

विषय :- राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के प्रावधान के तहत मानसून 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़के / पुलिया मरम्मत आदि हेतु निम्न कार्यो की निरस्त के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान शासन उप सचिव महोदया, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक एफ.8(14)आ.प्र.सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / 140 दिनांक 06.10.2025 व श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक आ.प्र.सहा. / बाढ़ / 2025-26 / 4396 दिनांक 07.10.2025.

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान शासन उप सचिव महोदया, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के प्रावधान के तहत मानसून 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़के / पुलिया मरम्मत के निम्न कार्य की निरस्त के प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान की सेवामें आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र. सं0	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक / दिनांक	निरस्त का कारण	वि वि
1.	रपटा क्षतिग्रस्त मेन रोड से पलसा की ओर जाने वाला बिलोता	बिलोता	140 / 06.10.2025	दोहरी स्वीकृति जारी होने के कारण	
2.	रपटा क्षतिग्रस्त मॉडल तालाब बिलोता	बिलोता	140 / 06.10.2025	उक्त कार्यस्थल गलत होने के कारण	

(शंकर लाल मेघवाल,RRDS)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति उनियारा

कार्यालय पंचायत समिति, पीपलू

Phone No. 01435-278351, E-mail :pspeeplu@gmail.com

क्रमांकः पसपी / निर्माण / 2025–26 / 1057 दिनांकः– 29/10/25

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदया,
जिला टोंक।

विषय :– क्षतिग्रस्त सार्व0सीसी0 पुलिया (एसडीआरएफ) की तकनीकी स्वीकृति व तकमीना भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– आपके पत्रांक 4423 दिनांक दिनांक 07.10.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत क्षतिगरस्त सार्व0सीसी पुलिया की तकनीकी स्वीकृति व तकमीना श्रीमान् को सादर प्रेषित है, जो निम्नानुसार है।

क्र0स0	कार्य का नाम	ग्राम	पंचायत	तक0स्वी क्रमाक / दिनांक	श्रम (लाखों)	सामग्री (लाखों में)	कुल स्वी0 राशि (लाखों में)	वि0वि0
1	रा0 उ0 प्रा0 वि0 से श्मशान घाट की ओर सीसी रोड मय सुरक्षा दीवार व पुलिया मरम्मत कार्य	सोहेला	सोहेला	902/ 14.10.2025	0.04	0.26	0.30	
2	सांवर मल जाट के मकान से डामर रोड की ओर पुलिया मरम्मत कार्य जौला	जौला	जौला	903/ 14.10.2025	0.02	0.13	0.15	
3	श्मशान घाट पर सीसी रोड ~~निर्माण कार्य~~ पर पुलिया मरम्मत कार्य	हाडीकला	हाडीकला	904/ 14.01.2025	0.02	0.13	0.15	

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, पीपलू

क्रमांकः पसपी / निर्माण / 2025–26 / 1058-1059 दिनांकः– 29/10/2025

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक।
2. रक्षित पत्रावली।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, पीपलू

कार्यालय पंचायत समिति, पीपलू (टोंक)

क्रमांक :– पंसपी / निर्माण / 2025–26 / 1060 दिनांक 29/10/2025

श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विषय :– क्षतिग्रस्त पुलिया कें तकनीकी स्वीकृति / तकमीना बनाने में आ रही समस्या के संबंध में।

प्रसंग :– आपके पंत्राक 4423 दिनांक 07.10.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि (SDRF) क्षतिग्रस्त पुलिया के तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुर्नस्थापना कार्य, सलग्न सूची के अनुसार मरम्मत हेतु तकमीना तैयारकर कर भिजवाने हेतु लिखा गया था। श्रीमान जी तकमीना बनाने में अग्रलिखित समस्या आ रही है।

क्र0 सं0	आंगनबाडी केन्द्र का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	वि0 वि0
01	प्यावडी में नदी की ओर जाने वाले नाले का मरम्मत कार्य	प्यावडी	प्यावडी	ग्राम पंचायत द्वारा अवगत करवाया कि अतिवृष्टी में नाला बहुत अधिक क्षति ग्रस्त होने के कारण राशि (30000 हजार) पर्याप्त नही है। (क्र0स0 02)

अतः सूचना श्रीमान को सादर प्रेषित है।

सलंग्न– ग्राम पंचायत के पत्र।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, पीपलू

क्रमांक :– पंसपी / निर्माण / 2025–26 / 1061 – 1064 दिनांक 29/10/2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1 श्रीमान् मुख्य / अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक।
2 श्रीमान् उप निदेश्क, महिला एवं बाल विकास विभाग टोंक।
3 श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, पीपलू।
4 प्रशासक / ग्राम विकास अधिकारी .... (संबंधित)।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, पीपलू

राजस्थान सरकार
पंचायत विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत प्यावड़ी

पंचायत समिति पीपलू, तह. पीपलू जिला टोंक (राज.)

प्रेषक :	प्रेषिति :
सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत प्यावड़ी पंचायत समिति पीपलू, जिला टोंक (राज.)	श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय पंचायत समिति पीपलू (टोंक)

पत्रांक : का.ग्रा.पं./प्यावड़ी/2025-26/SP-07

दिनांक 29/10/25

विषय- SDRF से जारी स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य "प्यावड़ी से नदी की ओर वाले नाले का मरम्मत कार्य" के लिए 0.30 लाख की राशि स्वीकृत हुई है महोदय अतिवृष्टि में नाला बहुत अधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण यह राशि पर्याप्त नहीं है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत प्यावड़ी
पं.स.पीपलू(टोंक)